



जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, खण्डवा

प्रधान कार्यालय, रामेश्वर रोड, खण्डवा (म.प्र.)

फोन 0733 - 2222733 फैक्स 0733- 2223863

E WWW.JSKBKHANDWA.IN E-mail - jskbkhandwa@gmail.com

कं० / लेखा / 2020 / 3438
प्रति,

दिनांक-13.11.2020

शाखा प्रबंधक,

शाखा----- (समस्त)

विषय:- मियादी जमाओं राशियों (सावधि निक्षेप) के विरुद्ध प्रदत्त ऋण / अधिविकर्ष पर ब्याज दरों के निर्धारण बाबत ।

उपरोक्त विषयांतर्गत मियादी जमा राशियों (सावधि निक्षेप) के विरुद्ध प्रदत्त ऋण / अधिविकर्ष पर ब्याज दर के निर्धारण हेतु बैंक प्रशासकीय कमेटी की बैठक दिनांक-06.11.2020 के विषय कं०-12 में पारित निर्णय अनुसार ब्याज दरों में निम्नुसार संशोधन किया जाता है। जो दिनांक- 01.12.2020 से प्रभावशील होगी:-

वर्तमान सावधि निक्षेप के विरुद्ध ऋण सीमा एवं ब्याज दर			सावधि निक्षेप के विरुद्ध जमा / अधिविकर्ष पर संशोधित ऋण सीमा एवं ब्याज दर	
ऋण अग्रिम	ऋण सीमा	ब्याज दर	ऋण सीमा	ब्याज दर
जमा सावधि / निक्षेप पर	85%	सावधि निक्षेप पर लागू ब्याज दर से 1 % अधिक	90%	सावधि निक्षेप पर लागू ब्याज दर से 1 % अधिक
डबल डिपाजिट निक्षेप पर	85%	डबल डिपाजिट पर लागू ब्याज दर से 1 % अधिक	90%	डबल डिपाजिट पर लागू ब्याज दर से 1 % अधिक
कर्मचारियों के सावधि / दोहरी पर	100%	जमा राशि पर ब्याज दर के बराबर	100%	जमा राशि पर ब्याज दर के बराबर

उपरोक्त संशोधित ब्याज दर दिनांक-01 दिसम्बर-2020 एवं इसके पश्चात् स्वीकृत सावधि निक्षेप के विरुद्ध प्रदत्त ऋण / अधिविकर्ष प्रकरणों पर लागू होगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी